सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी: श्री नानूराम सैनी, (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या: 33/2016

धर्मवीर पुत्र श्री सुमेरसिंह जाति जाट निवासी साखूरोड़, धनरूप नगर, राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

अपीलार्थी

—:बनाम:—

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

प्रत्यर्थी

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार, बीकानेर दिनांक: 04.12.2013 जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 1639 अपीलार्थी के नाम अस्वीकृत किया गया को करने निरस्त एवं करने मंजूर अपील अंतर्गत धारा — 75 राजस्थान भू — राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति:

1. श्री जगदीश जल, अभिभाषक अपीलार्थी।
2. पेरोकारराज, राज्य के लिये।

—:निर्णय:—

दिनांक: 08/03/2018

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार, बीकानेर की आज्ञा दिनांक: 04.12.2013 से व्यथित होकर के इस न्यायालय में दिनांक: 07.09.2016 को प्रस्तुत की गयी है।

2— संक्षेप में अपील प्रकरण से संबंधित आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम रोही देशनोक तहसील बीकानेर स्थित खेत खसरा नंबर 110 तादादी 10.6600 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार दिलीप सिंह पुत्र छज्जूराम जाति रोड़,

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निवासी अहर तहसील ईसराना जिला पानीपत राज्य हरियाणा था। उक्त खातेदार से जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांकः 30.05.2013 को अपीलांट ने क्रय कर ली तथा कब्जा भूमि प्राप्त कर लिया। उक्त खरीद के आधार पर इन्तकाल संख्या 1639 अपीलार्थी के नाम पटवारी हल्का ने खोलकर तहसीलदार के समक्ष तस्दीक करने हेतु पेश किया जिसे दिनांकः 04.12.2013 को तहसीलदार ने यह कहते हुवे अस्वीकृत कर दिया कि प्रार्थी को सूचित कर दिये जाने के उपरान्त भी जाति प्रमाण–पत्र पेश नहीं किया है। इसी आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी ने यह अपील हमारे सम्मुख प्रस्तुत की है तथा अभिकथन किया कि आदेश मातहत अदालत गलत प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों एवं मिसल रिकार्ड के विपरीत क्षेत्राधिकार विहिन एवं विधि में निहित प्रक्रिया की अवहेलना में पारित किये जाने से विधि विरूद्ध एवं निरस्तनीय है। अपील प्रार्थना–पत्र के साथ मियाद कानून दफा 5 का प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र भी पेश किया तथा अपील प्रथम जानकारी की तिथि के आधार पर मियाद के भीतर प्रस्तुत होनी करार दी जाकर अपील मंजूर की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध होने से इसे निरस्त करने का निवेदन किया।

3– अपील प्रार्थना–पत्र के प्रत्यर्थी राज्य को सम्मन करने पर पेरोकारराज न्यायालय में उपस्थित आये।

4– बहस उभयपक्ष सुनी गयी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। आदेश इन्तकाल जैर अपील के अवलोकन से यह तो स्पष्ट दर्शित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिया गया हो। पत्रावली से प्रकट नहीं होता है। जो कुछ भी प्रक्रिया अपनायी गयी हो। इन्तकाल एक पक्षीय रूप से निर्णित कर दिया जो कानून की निगाहों में दोषपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में दफा 5 मियाद अधिनियम का फायदा पाने का अपीलार्थी हकदार ठहरता है और इस दृष्टि से अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कंडोन किया जाता है तथा अपील प्रथम जानकारी के आधार पर प्रस्तुत होने से इसे अन्दर मियाद प्रस्तुत होनी घोषित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5– अपील के गुणागुण पर भी हमारा यह निश्चित मत है कि एक पक्षीय पारित आदेश कानूनी दृष्टि से विधि विरूद्ध आदेश हो जाता है तथा इसी आधार पर आदेश अधीनस्थ न्यायालय काबिले इखराज है। प्रकरण में अपीलार्थी ने तहसलीदार ईसराना जिला पानीपत राज्य हरियाणा के द्वारा उसके पक्ष में जारी प्रमाण–पत्र की चित्र प्रति एवं प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, पानीपत (हरियाणा) द्वारा जारी प्रमाण–पत्र तस्दीक की फोटो प्रति पत्रावली पर प्रस्तुत की है। इसके अलावा अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर जाति से संबंधित तस्दीक संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हरियाणा से मंगवाये जाने का निवेदन किया है। इस प्रकार यह जांच करना आवश्यक एवं न्यायसंगत होगा कि अपीलार्थी की जाति सामान्य एवं पिछड़ापन अथवा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति में से कौन से वर्ग में आती है इसकी बिना जांच किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल जैर अपील पर दी गयी आज्ञा उसके क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दिया गया आदेश है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता ना ही कायम रखे जाने योग्य है। अपीलार्थी ने अपील साधिकार रूप से पेश की है जिसमें काफी बल है तथा काबिल मंजूर हो गयी है।

6– परिणाम स्वरूप अपील अपीलार्थी मंजूर की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार, बीकानेर को पत्रावली प्रतिप्रेषित कर अपर निर्णय में दिये गये सम्प्रेषणों के मुताबिक जांच कर असल जाति प्रमाण–पत्र अपीलार्थी से लिया जाकर उसे समुचित सुनवाई का अवसर देकर विधि के प्रावधानों की पालना कर विधिवत आदेश पारित करें।

7– आदेश आज दिनांक: 08/03/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नानूराम सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner